

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-2
संख्या: 401/XXII/16-3(4)2015
देहरादून, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2016
कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 के क्रम में प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनेमाहॉलों को पुनर्जीवित (Revive) किये जाने हेतु 'प्रदेश के 1000 मीटर से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनोमाघरों को पुनर्जीवित करते हुए आगामी 05 वर्षों के लिए मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की' श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

h

22.12.2016

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या-401 (1)/XXII(2)/2016-3(4)2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. आयुक्त कुमार्ज / गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-05 एवं 09, उत्तराखण्ड शासन।
8. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 150 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

h

22.12.2016

(विनोद शर्मा)
सचिव।